

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 433/2016 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

### वेहनाराम वगैरा बनाम मोटाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील - श्री बाबूलाल पूनिया

**निर्णय**

**दिनांक - 21.06.2018**

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प ओगाला में पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा ओगाला, पटवार क्षेत्र ओगाला, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 194 रकबा 85.01 बीघा, खसरा सं. 192 रकबा 64.04 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।


अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा ओगाला, पटवार क्षेत्र ओगाला, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 194 रकबा 85.01 बीघा, खसरा सं. 192 रकबा 64.04 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को रूपये 500/- फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे

तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीशनर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसराओं की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प ओगाला में सुनाया गया।

  
(भूपेन्द्र कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/

प्रार्थीगण :-

1.वेहनाराम पुत्र खेताराम 2.तुलछी पत्नि खेताराम  
3.धरमीदेवी पत्नि मूलाराम 4.खीयाराम 5.पूनमाराम  
6.रेखाराम 7.चेनाराम पि.जगमालाराम 8.खेतु पत्नि  
जगमालाराम 9.शंकराराम पुत्र चूनाराम 10.मगी पत्नि  
चूनाराम 11.टीकूराम 12.दोलाराम पि.पीराराम  
13.नवली पुत्री केनाराम 14.धर्मी पुत्री केनाराम  
15.गजरो पत्नि केनाराम, जाति जाट, निवासी  
ओगाला,तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

दिनांक

6/7/18

विप्रार्थीगण:-

1.मोटाराम पुत्र भोमाराम 2.खेताराम 3.चेनाराम  
4.पीराराम 5.पोकरराम 6.गेनाराम पि.प्रभूराम  
7.कसुम्बी पत्नि प्रभूराम जाति जाट,  
निवासी ओगाला  
8.अमरदान 9.नाथूदान पि.जीवदान 10.हमीरदान पुत्र  
राणीदान 11.मोडदान पुत्र रतनदान, जाति चारण  
निवासी ओगाला, तहसील सेड़वा  
12.सरपंच ग्राम पंचायत बोली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 433/2016

दिनांक : 21.06.2018

### आदेश

तहसीलदार सेडवा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेडवा, पटवार क्षेत्र ओगाला के मौजा ओगाला के खेत खसरा सं. 194 रकबा 85.01, खसरा सं. 192 रकबा 64.04 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काशत में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे ।

कमिशनर फीश प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे । नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

(भूपेन्द्र कुमार यादव )

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक

6/7/18

क्रमांक/भू.अ./2018/

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सेडवा
2. प्रार्थीगण वेहनाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण मोटाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड़वा/धौरीमन्ना/बाखासर

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन